रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 2015/वैशाख 7, 1937
No. 856] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2015 /VAISAKHA 7, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2015

का.आ. 1095(अ).- केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस तारीख से जिसको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होते हैं, अर्थात् 16 जनवरी, 2015 से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के भीतर, लोकसेवकों द्वारा संपत्ति विवरणियों की फाइलिंग को और आस्तियों की घोषणा विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, जिससे कि उन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके, सभी विद्यमान नियमों में उपांतरण और संशोधन करने के प्रयोजन के लिए 15 फरवरी, 2014 से, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, विधि और न्याय विभाग (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) वित्तीय सेवाऐं विभाग, लोक उद्यम विभाग और राज्य सरकारों के परामर्श से लोकसेवकों द्वारा वार्षिक विवरणी फाइल करने और आस्तियों की घोषणा करने से संबंधित विषय वस्तु से व्यौहार करने वाले सभी विद्यमान नियमों के उपांतरण और संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की ;

और उपरोक्त प्राधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ और समय लगना था और विद्यमान नियमों को उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप करने की प्रक्रिया में उक्त आदेश में अधिसूचित अवधि के परे समय लग रहा था और इसलिए केन्द्रीय सरकार ने 14 जुलाई, 2014 को उक्त आदेश को संशोधित करके एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि को दो सौ सत्तर दिनों तक विस्तारित कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार ने मंत्रालयों/विभागों, जिसके अंतर्गत वित्तीय सेवाऐं विभाग, लोक उद्यम विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय है, से परामर्श करने के पश्चात् लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा

(2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों को, 14 जुलाई, 2014 को, उनमें उन प्ररूपों को विहित करते हुए जिनमें प्रत्येक लोकसेवक द्वारा सूचना और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की जानी हैं, अधिसूचित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करें और संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों तथा उनके नियंत्रण के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करें;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उन सभी से उक्त नियमों का अनुपालन के सुनिश्चित करने की अपेक्षा करें;

और कुछ मंत्रालय और विभागों, संगठनों और व्यष्टिकों ने लोकसेवक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सूचना को लोक डोमेन में रखने पर तथा विहित प्ररूपों में ऐसे ब्यौरों को प्रस्तुत करने में और संबंधित मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट पर उनके प्रकाशन में अंतवर्लित जटिलताओं तथा ऐसे ब्यौरों को विशेषकर जंगम संपत्ति के, भरने के पश्चात् लोकसेवकों की भेद्यता की प्रचंडता पर चिंताएं और आशंकाएं उठाई गईं, जिस लोकसेवक के पारिवारिक सदस्यों विशेषकर बालकों की सुरक्षा और संरक्षा पर आशंका व्यक्त की गई;

और केन्द्रीय सरकार ने, पूर्वोक्त वास्तविक चिंताओं और आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए उन प्ररूपों और प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए, जिनमें लोकसेवक उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेंगे, जैसा कि अधिनियम के अधीन और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित है, 28 अगस्त, 2014 को एक समिति का गठन किया और समिति से उक्त नियमों के अधीन विहित प्ररूपों की जांच करने और उनमें ऐसे परिवर्तनों का जो आवश्यक समझे जाएं, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर सुझाव देने की अपेक्षा की ;

और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विभिन्न सेवाओं और पदों से संबंधित विद्यमान नियमों के पुनरीक्षण का कार्य, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने तथा उन प्ररूपों और प्रक्रिया के सरलीकरण के कार्य, जिनमें लोकसेवक आस्तियों और दायित्वों की घोषणाएं करेंगे, में उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दो सौ सत्तर दिन की अवधि से परे समय लगने की संभावना थी (जैसा कि 14 जुलाई 2014 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है) उक्त दो सौ सत्तर दिन की अवधि को विस्तारित करना आवश्यक हो गया था और केन्द्रीय सरकार ने तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 44 के प्रयोजनों के लिए उक्त दो सौ सत्तर दिन की अवधि को तीन सौ साठ दिन की अवधि तक विस्तारित करने के लिए उक्त आदेश को 8 सितंबर, 2014 को संशोधित किया ।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा 28 अगस्त, 2014 को उन प्ररुपों और प्रक्रिया के सरलीकरण, जिनमें लोकसेवक, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथाअपेक्षित, आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेंगे, के लिए गठित समिति ने 1 अक्तूबर, 2014 को अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें समिति ने पूर्वोक्त नियमों के अधीन लोक सेवकों द्वारा जंगम संपत्तियों से संबंधित कथन प्रस्तुत करने के लिए विहित प्ररूप तथा ऋणों और दायित्वों से संबंधित कथन प्रस्तुत करने के लिए विहित प्ररूप के सरलीकरण का सुझाव दिया;

और पूर्वोक्त नियमों में आवश्यक संशोधन को प्रक्रियागत करना जिससे जंगम संपत्ति से संबंधित कथन तथा ऋणों और दायित्वों से संबंधित कथन फाइल करने के लिए पुनरीक्षित प्ररूप सम्मिलित किया जा सके तथा केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के सभी मुख्य सचिवों को, राजपत्र में सम्यक् प्रकाशन के पश्चात् पुनरीक्षित प्ररूपों के प्रचालन तथा उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उन सभी से पुनरीक्षित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा करने की अनुवर्ती कार्रवाई की और प्रक्रिया समय खपाने वाली प्रक्रिया है और इस प्रकार उक्त प्रक्रिया तारीख 8 सितंबर, 2014 के आदेश द्वारा यथा संशोधित मूल आदेश में यथा अनुध्यात तीन सौ साठ दिनों की सीमा में पूर्ण नही की जा सकती;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम में जानकारी में आई विभिन्न असंगतियों को दूर करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है, और इस संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों का भी संशोधन करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है जिससे उक्त धारा के उपबंधों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन विरचित नियमों, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन विरचित नियमों, केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 309 के अनुसरण में, विरचित नियमों तथा स्वायत्तशासी निकायों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की स्थापना करने वाले विभिन्न कानून और उनके अधीन विरचित नियमों के भी सुसंगत उपबंधों के अनुकूल किया जा सके; और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 44 के प्रयोजनों के लिए तारीख 26 दिसंबर, 2014 के उक्त आदेशा का तारीख 30 अप्रैल, 2015 तक उक्त अवधि को बढ़ाकर संशोधन किया गया

और, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए तारीख 18 दिसंबर को लोकसभा में यथा पुरस्थापित लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी विभाग की स्थायी समिति को, उसकी परीक्षा और रिपोर्ट देने के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था ;

और उक्त समिति ने तारीख 8 जनवरी, 3 मार्च, 2015, 8 अप्रैल, 2015 और 15 अप्रैल, 2015 को गैर सरकारी पणधारियों के साथ बैठकें की थी जिनमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने से उपस्थित होने तथा माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर समिति से प्राप्त विस्तृत प्रश्नावली पर तथा विभिन्न पणधारियों द्वारा समिति को दिए गए ज्ञापन पर भी प्रतिक्रिया क्षमा करने का अनुरोध किया गया था ।

और प्रस्तावित संशोधनों को, जिसमें धारा 44 के उपबंधों का संशोधन, लोकपाल अधिनियम के अनुसार विद्यमान नियमों और अन्य कानूनी उपबंधों को बनाना भी सम्मिलित है, संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् संसद् द्वारा विधेयक के पारित किए जाने तक प्रभावी नहीं किया जा सकता है;

और, नियमों के सुव्यवस्थीकरण के विषय में कोई कार्रवाई केवल समिति द्वारा संसद् में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा उस पर विचार करने के पश्चात् ही की जा सकती है और संसद् द्वारा पूर्वोक्त संशोधन विधेयक पारित होने और तदनुसार अधिनियम के प्रवर्तन में समय लगने की संभावना है; और अत: अठारह मास की उक्त अवधि को इक्कीस मास की अवधि तक विस्तार करना आवश्यक हो गया है, और तदनुसार केन्द्रीय पूर्वोक्त कारकों को विचार में लेने के पश्चात् अवधि को विरासत करने का विनिश्चय किया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश के पैरा 2 के उप पैरा (1) में, "अठारह मास से अनधिक अवधि के भीतर", शब्दों के स्थान पर, "इक्कीस मास से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख) भाग-I]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण: लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 409 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1840 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2014 का.आ. 2256(अ) तारीख 8 सितंबर, 2014 और का.आ.3272(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।